भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/340

विवि.धारिता.आरईसी.सं.259/16.13.100/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025

विषय वस्तु

अध्याय I- प्रारंभिक 3

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 3

बी. प्रयोज्यता 3

सी. परिभाषाएँ 4

अध्याय – II - शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण 6

ए. एनबीएफसी की शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण 6

बी. पूर्व-अनुमोदन की प्रक्रिया 7

सी. नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता 7

डी. एफएटीएफ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकार से निवेश 8

अध्याय III- निरसन और अन्य प्रावधान 9

ए. निरसन और संरक्षण 9

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 9

सी. व्याख्याएं.....9

अनुबंध I.....11

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45जेए, 45के, 45एल, 45एम और 45एमए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय ।- प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश जारी करने की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. (1) यह निदेश निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सभी लेयरों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी (यों)' और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

(i) पैरा 6 से 13 में दिए गए प्रावधान, 6 (3) और 6 (4) को छोड़कर, निम्नलिखित पर लागू होंगे:

(ए) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी-डी;

(बी) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी;

(सी) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी- फैक्टर;

(डी) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई;

(ई) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी-आईएफसी;

(एफ) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत आईडीएफ-एनबीएफसी;

(जी) एनएचबी अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत एचएफसी;

(एच) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत सीआईसी;

(आई) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी-पी2पी;

(जे) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एए;

(ii) पैरा 6(3) में निहित प्रावधान एचएफसी पर लागू होंगे।

(iii) पैरा 6(4), 11, 12 और 13 में निहित प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत एसपीडी पर लागू होंगे;

(2) ये निदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं हैं:

(i) बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के तहत आरबीआई में पंजीकृत एमजीसी;

(ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत एनओएफएचसी।

नोट: इन निदेशों के तहत प्रयोज्यता भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - स्केल आधारित विनियमन के लिए पंजीकरण, छूट और ढांचा) निदेश, 2025 में निर्धारित एनबीएफसीयों' के लिए विनियामक संरचना के अनुरूप है।

सी. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों में,यदि किसी स्थिति में यह आवश्यक है, प्रयोग किए गए शब्द नीचे दी गए अर्थों को व्यक्त करेंगे, और उनके सजातीय शब्दों और भिन्नताओं को तदनुसार माना जाएगा:

(1) 'नियंत्रण' का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अर्जन) विनियमन, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ई) के में दिया गया है;

(2) 'सार्वजनिक जमाराशि' का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करना) निदेश, 2025 में निहित है;

(3) 'रिश्तेदार' का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) में दिया गया है;

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहां परिभाषित नहीं किया गया हो, का वही अर्थ होगा जो उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934, कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम 18) के तहत दिया गया है।

अध्याय – II - शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण

ए. एनबीएफसी की शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण

6. एनबीएफसी को निम्नलिखित के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी:

(1) एनबीएफसी के नियंत्रण का कोई अधिग्रहण या अर्जन, जो प्रबंधन में परिवर्तन का कारण बन सकता है या नहीं भी बन सकता है;

(2) एनबीएफसी की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन, जिसमें समय के साथ प्रगतिशील वृद्धि शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी की चुकता इक्विटी पूंजी का 26 प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता का अधिग्रहण/हस्तांतरण होगा।

बशर्ते कि, शेयरों की वापसी-खरीद / पूंजी में कमी के कारण 26 प्रतिशत से अधिक की किसी भी शेयरधारिता के मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी जहां इसे सक्षम न्यायालय का अनुमोदन है। हालांकि, इसकी घटना से एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक/एनएचबी को इसकी सूचना दी जानी है।

(3) जनता की जमाराशियाँ स्वीकार करने / रखने वाली एचएफसी की शेयरधारिता में कोई भी परिवर्तन, जिसमें समय के साथ प्रगतिशील वृद्धि शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप एचएफसी की चुकता इक्विटी पूंजी का 10 प्रतिशत या उससे अधिक का विदेशी निवेशक /द्वारा/ को अधिग्रहण / हस्तांतरण होगा।

बशर्ते कि, शेयरों की वापसी-खरीद/पूंजी में कमी के कारण, जहां सक्षम न्यायालय का अनुमोदन है, 10 प्रतिशत से अधिक की किसी भी शेयरधारिता के मामले में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, एनएचबी को इसकी घटना की तारीख से एक महीने के भीतर इसकी सूचना दी जानी है।

इसके अलावा, बशर्ते कि, सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने के लिए वैध सीओआर रखने वाले एचएफसी के नियंत्रण के अधिग्रहण या हस्तांतरण के मामलों में, सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति के अनुदान की समीक्षा करने का अधिकार रिज़र्व बैंक के पास है।

(4) एसपीडी के शेयरधारिता पैटर्न/पूंजी संरचना में किसी भी परिवर्तन के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। एसपीडी के रूप में लाइसेंस की शर्तों को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य भौतिक परिवर्तन जैसे व्यावसायिक प्रोफाइल, संगठन आदि की सूचना एसपीडी तुरंत रिज़र्व बैंक को देगा।

बी. पूर्व-अनुमोदन की प्रक्रिया

7. एनबीएफसी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए कंपनी के पत्र-शीर्ष में प्रवाह के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा:

(1) अनुबंध I के अनुसार प्रस्तावित शेयरधारकों के बारे में जानकारी;

(2) एनबीएफसी में शेयर प्राप्त करने वाले प्रस्तावित शेयरधारकों की निधियों के स्रोत;

(3) प्रस्तावित शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे किसी भी अनिगमित निकाय से जुड़े नहीं हैं जो सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार कर रहा है;

(4) प्रस्तावित शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि वे किसी कंपनी से जुड़े नहीं हैं, जिसका पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के लिए आवेदन रिज़र्व बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है;

(5) प्रस्तावित शेयरधारकों द्वारा घोषणा कि उनके विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध सहित कोई आपराधिक मामला नहीं है;

(6) प्रस्तावित शेयरधारकों पर बैंकर्स रिपोर्ट।

सी. नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता

8. पैरा 6 की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, : (i) शेयरों की बिक्री से कंपनी के स्वामित्व का हस्तांतरण, या (ii) शेयरों की बिक्री के साथ या उसके बिना कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण करने से पहले कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय और एक प्रमुख (पंजीकृत कार्यालय के स्थान को कवर करते हुए) स्थानीय समाचार पत्र में कम से कम 30 दिन पहले सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा।

बशर्ते कि इस पैरा में निहित कुछ भी सार्वजनिक जमा स्वीकार करने / रखने वाली एचएफसी की शेयरधारिता में किसी भी बदलाव के मामले में लागू नहीं होगा, जिसमें समय के साथ प्रगतिशील वृद्धि शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत या उससे अधिक और एचएफसी की चुकता इक्विटी पूंजी का विदेशी निवेशक द्वारा/को 26 प्रतिशत से कम की शेयरधारिता का अधिग्रहण / हस्तांतरण होगा।

9. पैरा 8 में आवश्यक सार्वजनिक नोटिस आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद एनबीएफसी द्वारा और अंतरिती पक्ष द्वारा या संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा।

10. सार्वजनिक नोटिस में स्वामित्व/नियंत्रण को बेचने या हस्तांतरित करने, अंतरिती के विवरण और स्वामित्व/नियंत्रण की इस तरह की बिक्री या हस्तांतरण के कारणों का संकेत होगा।

डी. एफएटीएफ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकार से निवेश

11. एफएटीएफ गैर-अनुपालित अधिकार क्षेत्रों से एनबीएफसी में निवेश को एफएटीएफ अनुपालित अधिकार क्षेत्रों के समकक्ष नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: एफएटीएफ समय-समय पर अपने निम्नलिखित प्रकाशनों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए कमजोर उपायों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है (i) कार्रवाई के आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, और (ii) बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार। किसी क्षेत्राधिकार, जिसका नाम उपरोक्त दो सूचियों में नहीं आता है उसे एफएटीएफ अनुपालित क्षेत्राधिकार के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

12. गैर-अनुपालन एफएटीएफ क्षेत्राधिकार से या उसके माध्यम से एक नये निवेशक को, चाहे वह मौजूदा एनबीएफसी में हो या पंजीकरण प्रमाण पत्र की मांग करने वाली कंपनी में, लागू लेखांकन मानकों में परिभाषित निवेशिती में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'महत्वपूर्ण प्रभाव' प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिणामस्वरूप, ऐसे क्षेत्राधिकारों से कुल मिलाकर नए निवेशक (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) एनबीएफसी की मतदान शक्ति (संभावित मतदान शक्ति सहित) के 20 प्रतिशत की सीमा से कम होने चाहिए।

स्पष्टीकरण: "संभावित मतदान शक्ति" इक्विटी में परिवर्तनीय लिखतों, आकस्मिक मतदान अधिकारों वाले अन्य लिखतों, संविदात्मक व्यवस्थाओं आदि से उत्पन्न हो सकती है जो निवेशकों को भविष्य में मतदान अधिकार (आकस्मिक मतदान अधिकारों सहित) प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एफएटीएफ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से नए निवेश दोनों से कम हों (ए) मौजूदा मतदान शक्तियों का 20 प्रतिशत और (बी) मौजूदा और संभावित मतदान शक्तियों का 20 प्रतिशत यह मानते हुए कि वे संभावित मतदान अधिकार साकार हो गए हैं।

13. किसी मौजूदा एनबीएफसी में निवेश करने वाले निवेशक, जो स्रोत या मध्यवर्ती क्षेत्राधिकार को एफएटीएफ गैर-अनुपालित के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले अपने निवेश को बनाए रखते हैं, वे भारत में व्यवसाय की निरंतरता का समर्थन करने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार निवेश जारी रख सकते हैं या अतिरिक्त निवेश ला सकते हैं।

अध्याय III- निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और संरक्षण

14. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण से संबंधित पूर्व में जारी सभी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश रद्द किए जाते हैं, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया था। इन निदेशों के जारी होने से पहले रद्द किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

15. ऐसे निरस्तीकरण के बावजूद, किसी भी कार्रवाई जो की गई हो या कथित तौर पर किए जाने का दावा किया गया हो, या जो निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रारंभ की गई हो, वह उन प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगी। इन निरस्त की गई सूचियों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियाँ इन निदेशों के तहत शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा:

1) उसके अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व;

2) उसके अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में होनेवाला कोई भी जुर्माना, जब्ती या दण्ड;

3) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य, दायित्व, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड इस तरह से लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

16. इन निदेशों के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों के पूरक होंगे और इनके प्रावधानों के विपरीत नहीं होंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।

सी. व्याख्याएं

17. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या की किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि आरबीआई द्वारा आवश्यक समझा जाएँ, तो

यह इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सेंटा जॉय)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I

कंपनी के प्रस्तावित प्रमोटर्स/शेयरधारक के बारे में जानकारी

फॉर्म 1(ए)

कंपनी के प्रस्तावित प्रमोटर्स/शेयरधारक के बारे में जानकारी

क्रम सं	अपेक्षित विवरण	उत्तर
1.	नाम	
2.	पदनाम	अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3.	राष्ट्रीयता	
4.	आयु (जन्मतिथि के साथ पुष्टि होनी चाहिए)	
5.	कारोबार का पता	
6.	आवासीय पता	
7.	ईमेल पता/टेलीफोन नंबर	
8.	आयकर अधिनियम के तहत पैन	
9.	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	
10.	सामाजिक सुरक्षा संख्या/पासपोर्ट संख्या*	
11।	शैक्षिक/प्रोफेशनल योग्यता	
12.	नौकरी से संबंधित प्रोफेशनल उपलब्धि	
13.	कारोबार या पेशे का प्रकार	
14.	एनबीएफसी से जुड़ी अन्य कोई जानकारी	
15.	अन्य कंपनियों के नाम जिनमें व्यक्ति ने अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभाला है	
16.	उन संस्थाओं के विनियामक (आरबीआई,सेबी ,आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनएचबी या कोई अन्य विदेशी विनियामक) के नाम, जिनमें संबंधित व्यक्ति निदेशक हैं।	

17.	यदि कोई एनबीएफसी है, तो उसके नाम बताएं, जिनमें वह व्यक्ति प्रमोटर, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के तौर पर जुड़ा है, जिसपर आरबीआई ने जमाराशियाँ स्वीकार करने से रोक लगा दी है/जिस पर मामला चलाया गया है।	
18.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए उस व्यक्ति और/या उससे जुड़ी किसी भी संस्था के विरुद्ध अतीत में लंबित, प्रारंभ की गई या दोषसिद्धि में परिणत किसी भी अभियोजन का विवरण।	
19.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां व्यक्ति या उसके रिश्तेदार या जिन कंपनियों से वह व्यक्ति जुड़ा है, वे किसी संस्था या बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के मामले में पिछले 5 वर्षों में चूककर्ता रहे हैं या हैं।	
20.	यदि व्यक्ति किसी पेशेवर एसोसिएशन/निकाय का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध लंबित या प्रारंभ की गई या अतीत में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, अथवा क्या उसे कभी किसी प्रोफेशनल व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है?	
21.	क्या व्यक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के दायरे में आता है?	
22.	क्या उस व्यक्ति या उससे जुड़ी किसी भी कंपनी के विरुद्ध किसी सरकारी विभाग या एजेंसी ने कोई जांच की है?	
23.	क्या व्यक्ति को कभी भी सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो विवरण दें	
24.	एनबीएफसी के कारोबार में अनुभव (वर्षों की संख्या)	
25.	कंपनी में इक्विटी शेयरधारिता	
(i)	शेयरों की संख्या	

(ii)	अंकित मूल्य	
(iii)	कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत	
26.	उन कंपनियों, फर्मों और स्वामित्व वाली कंपनियों के नाम जिनमें व्यक्ति की बड़ी हिस्सेदारी है?	
27.	उपरोक्त 26 से संबंधित मुख्य बैंकरों के नाम	
28.	विदेशी बैंकरों के नाम *	
29.	क्या व्यक्ति द्वारा धारित निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक है?	
		हस्ताक्षर:
		नाम:
		पदनाम:
		कंपनी की मुहर:

*** विदेशी प्रमोटरों/ निदेशकों/ शेयरधारकों के लिए**

टिप्पणी: प्रत्येक प्रस्तावित प्रमोटरों/निदेशकों/शेयरधारकों के संबंध में अलग-अलग फॉर्म प्रस्तुत किया जाएगा

फॉर्म 1(बी)

कॉर्पोरेट प्रमोटर के बारें जानकारी

क्रम सं.	अपेक्षित विवरण	उत्तर
1.	नाम	
2.	कारोबार का पता	
3.	ई-मेल पता/ टेलीफ़ोन संख्या	
4.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन	
5.	अनुपालन अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण	
6.	कारोबार का प्रकार	
7.	उनके बड़े शेयरधारक (10 प्रतिशत से अधिक) और उनके कार्य का विवरण, यदि कॉर्पोरेट हैं	
8.	प्रमुख बैंकर्स/ओवरसीज बैंकर्स* के नाम	
9.	विनियामक का नाम (आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एनएचबी या कोई अन्य विदेशी विनियामक)	
10.	ग्रुप कंपनी/यों के नाम	
11.	ग्रुप की उन कंपनीयों के नाम जो एनबीएफसी हैं	
12.	ग्रुप की उन कंपनियों के नाम का उल्लेख करें जिनपर आरबीआई ने जमाराशी स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाए है/जिन पर मामला चलाया गया है।	
13.	यदि कारपोरेट के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है अथवा आरंभ हुआ है अथवा जिसके परिणामस्वरूप विगत में आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के कारण दोषसिद्धि हुई है, उसका ब्यौरा दें	
14.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां कॉर्पोरेट किसी इकाई या बैंक से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में चूक की है या चूककर्ता रहा है	

15.	क्या सरकारी विभाग या एजेंसी के निर्देश पर कंपनी की कोई जांच हुई है?	
16.	क्या कारपोरेट को कभी भी सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हां, तो विवरण दें	
17.	क्या प्रमोटर कॉर्पोरेट/प्रमोटर कॉर्पोरेट के बहुसंख्यक शेयरधारक द्वारा कभी पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आरबीआई में आवेदन किया गया है जिसे अस्वीकार किया गया?	
		हस्ताक्षर:
	तिथि:	नाम:
	स्थान:	पदनाम
		कंपनी की मुहर:
* **विदेशी कारपोरेट के लिए**		

नोट:

समूह में कंपनियों का अर्थ दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच एक व्यवस्था से है जो निम्नलिखित संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित है: अनुषंगी - मूल (एएस 21 में परिभाषित), संयुक्त उद्यम (एएस 27 में परिभाषित), सहयोगी (एएस 23 में परिभाषित), प्रमोटर – प्रमोटी [जैसा कि सेबी (शेयरों का अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 1997 में दिया गया है] सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, संबंधित पार्टी (एएस 18 में परिभाषित), एकसमान ब्रांड नाम, और 20 प्रतिशत और उससे अधिक के इक्विटी शेयरों में निवेश।